अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी.एण्ड.सी.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 18 फरवरी, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए जनवरी, 2021 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **जनवरी, 2021** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. विभाग के सहायक निदेशक, (राजभाषा)

उपभोक्ता मामले विभाग

जनवरी, 2021 माह का मासिक सारांश

1. मूल्य संग्रहण के लिए मूल्य निगरानी स्कीम (पी.एम.एस.) साफ्टवेयर एप्पलीकेशन

1.1 पी.एम.एस मोबाइल एप्प, जिसमें सभी दुकानों से अपलोड किए गए दैनिक आंकड़ों को जियो टैग किया जाता है, को दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रचालित किया गया। इसका उद्देश्य सटीक रिपोर्टिंग और आंकड़ा की की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों को मोबाइल एप्प पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 122 मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों में से 85 केन्द्रों ने मोबाइल एप्पलीकेशन पर मूल्य की रिपोर्टिंग करना आरंभ कर दिया है, जबकि शेष केन्द्र पोर्टल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

1.2 मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों (पी.आर.सी.) द्वारा संसूचित की गई खुदरा कीमतों के मूल्यांकन और वैध बनाने के लिए एफ.सी.आई. और नेफेड की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। इस कार्य के लिए एफ.सी.आई. ने 162 स्थलों और नेफेड ने 17 स्थलों को चिह्नित किया है और मूल्य रिपोर्टिंग की कार्य प्रणाली और पी.एम.एस. मोबाइल एप्प के उपयोग के बारे में संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। दिनांक 8 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, एफ.सी.आई. के 60 स्थलों और नेफेड के 12 स्थलों से रिपोर्टें प्राप्त हुई। इन केन्द्रों से प्राप्त कीमतों और पी.आर.सी द्वारा संसूचित की गई कीमतों की दैनिक आधार पर तुलना की जाती है।

2. तृतीय पक्ष एजेंसियों को बाट एवं माप के मुहरांकन की अनुमति प्रदान करना:

2.1 विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपभोक्ता संरक्षण एवं लेनदेन में प्रयुक्त होने वाले बाट एवं माप का मुहारंकन और सत्यापन करना अनिवार्य है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधा और जनशक्ति की कमी के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बाट एवं माप का सत्यापन एवं मुहरांकन का कार्य करवाने में दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 के तहत तृतीय पक्ष एजेंसियों को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है कि एन.ए.बी.एल/आई.एस.ओ:आई.ई.सी 17025:2017 प्रत्यायोजित प्रयोगशालाओं द्वारा भी बाट एवं माप के सत्यापन एवं मुहरांकन का कार्य किया जाए।

3. उपभोक्ता संरक्षण के लिए शुरू की गई गतिविधियां:

3.1 विधिक माप विज्ञान नियम के तहत, आयातित किए गए सभी वस्तुओं के लिए स्रोत देश के नाम का उल्लेख करना आावश्यक है। विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछेक ई-वाणिज्य इकाइयां उक्त नियम के तहत अपेक्षित डिजिटल नेटवर्क पर अनिवार्य घोषणाओं को प्रदर्शित नहीं कर रही हैं। तदनुसार, जनवरी, 2021 में 21 ई-वाणिज्य इकाइयों (जिन ई-वाणिज्य इकाइयों को पिछले 4 माह में नोटिस किए गए हैं उनकी संख्या 67 हैं) और इसके उपरांत अपराध में बढ़ोतरी के संबंध में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया।

3.2 केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए) भ्रामक दावों या भ्रामक विज्ञापनों इत्यादि के लिए पत्रिकाओं, अखबारों, वेबसाइटों, इंटरनेट की नियमित रूप से जांच/निगरानी करता है (सी.सी.पी.ए द्वारा अभी तक जारी किए गए नोटिसों की संख्या 26 है)। सी.सी.पी.ए ने यह पाया कि बहुत से विनिर्माता/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम 99.9% रोगाणु, कीटाणु इत्यादि को मारने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के अप्रमाणित दावों के साथ उपभोक्ता उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भ्रामक विज्ञापन जारी किए है। इस संबंध में, सी.सी.पी.ए ने विभिन्न कॉरपोरेट घरानों और कंपिनयों को अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित स्पष्टीकरण देने के लिए 8 कारण बताओ नोटिस जारी किये।

4. माह के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठक:

4.1 दिनांक 28.01.2021 को ''आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा'' के संबंध में सचिवों की समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

4.2 दिनांक 08.01.2021 को सर्विस सेक्टर के उद्योग संघों के साथ एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार में मानकीकरण और उद्योग भागीदारी में उद्योग की भूमिका के संबंध में चर्चाएं की गई थीं।

4.3 भारतीय मानक ब्यूरो ने ऑटोमोबाइल, एचवीएसी, पम्प एवं मोटर, इलेक्ट्रो तकनीकी, पेट्रोरसायन, रसायन, सौन्दर्य प्रशासन, प्लास्टिक रबड़ और रबड़ उत्पाद के क्षेत्रों के उद्योग संघों के साथ मानकीकरण कार्य और मानकों के कार्यान्वयन, मानकीकरण की आवश्यकता और अंतराल वाले क्षेत्र, बीआईएस और मानकीकरण प्रकोष्ठों से उम्मीद और कठिनाइयों पर उद्योग के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने के लिए कई वेबिनार आयोजित किए गए।

4.4 बीआईएस ने विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय, बेलागावी और केएलएस गोग्टे तकनीकी संस्थान, बेलागावी के सहयोग से दिनांक 21.01.2021 को ''माइक्रो सूक्ष्म सिंचाई के लिए बीआईएस मानक'' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

4.5 बीआईएस द्वारा दिनांक 08.01.2021 को खिलौना विनिर्माताओं पर वर्चुअल माध्यम से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान, खिलौने के मानक, प्रमाणन, परीक्षण इत्यादि के संबंध में खिलौना विनिर्माताओं के प्रश्नों को सुना गया।